राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

क्रमांकः एफ19(12)राभ/फोटो स्टेट/सी.नि./2018–19/3365 दिनांकः 14.06.2024

सीमित बोली आमंत्रण सूचना

राजभवन, जयपुर में फोटोस्टेट कार्य हेतु एक वर्ष के लिए दर अनुबंध किये जाने हेतु इच्छुक बोलीदाताओं से मुहरबंद लिफाफे में निम्नलिखित विवरणानुसार सीमित बोली आमंत्रित की जाती है:–

क्र. सं.	विवरण	कार्य की अनुमानित राशि रू.	बोली प्रारंभ करने की तिथि एवं समय	बोली प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथि एवं समय	बोली खोलने की तिथि एवं समय	कार्य की अवधि
1.	फोटोस्टेट कार्य	1,98,000/–	18.06.2024 03.00 PM	26.06.2024 1.00 PM	26.06.2024 03.00 PM	1 वर्ष या अनुमानित लागत 1,98,000/– तक

(1.) बोली आमंत्रण सूचना मय बोली दस्तावेज विभागीय वेबसाईट www.rajbhawan.rajasthan.gov.in व राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती है एवं डाउन लोड भी कर सकते हैं।

(2.) बोली प्रपत्र स्टेशनरी अनुभाग राजभवन से कार्यालय समय में दिनांक 18.06.2024 से 26.06.2024 तक प्रातः 11.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है।

(3.) सीमित बोली दिनांक 26.06.2024 को मध्यान्ह 01.00 बजे तक स्वीकार की जावेगी तथा उसी दिन दोपहर पश्चात 3.00 बजे राजभवन में उपस्थित बोलीदाताओं/संवेदकों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष उपापन समिति द्वारा खोली जायेगी।

(4.) किसी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का उपापन समिति का अधिकार सुरक्षित है।

वित्तीय सलाहकार
राज्यपाल सचिवालय

क्रमांकः एफ.19(12)राभ/फोटो स्टेट/ सी.नि./2018–19/3366 दिनांकः 14/06/2024

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान वित्तीय सलाहकार, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर।
2. प्रोग्रामर को राजभवन पोर्टल www.rajbhawan.rajasthan.gov.in एवं स्टेट पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने हेतु।
3. नोटिस– बोर्ड कार्यालय हाजा।
4. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार
राज्यपाल, सचिवालय

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

प्रमुख सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान
राजभवन, जयपुर।

विषयः–राजभवन जयपुर में फोटोस्टेट कार्य हेतु मशीन मय ऑपरेटर हेतु के वार्षिक दर संविदा बाबत।

1. बोलीदाता/संवदेक का नाम ....
2. डाक का पता ....
....
....
3. फोन/मोबाईल नं0 ....
4. ई–मेल ....
5. बैंक का नाम ....
IFSC Code ....
खाता संख्या ....
6. बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नालिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजों के साथ लगानी होगीः–

क्र.सं.	पंजीकरण विवरण	रजि.सं.	वर्ष पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	माल एवं सेवाकर (GST)			
2.	आय कर (पैन नम्बर)			
3.	Shop Act. के अधीन दुकान का रजिस्ट्रेशन			

7. फोटोस्टेट कार्य हेतु मशीन मय पेपर एवं मशीन ऑपरेटर के वार्षिक अनुबंध की दरें संलग्न प्रारूप अनुलग्नक 'क' अनुसार प्रस्तुत करनी होंगी।
8. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान द्वारा जारी की गई सीमित निविदा में वर्णित सभी शर्तों से बाध्यता स्वीकार की जाती है।
9. बोली दाता की अपनी अलग से शर्तें मान्य नहीं होंगी।
10. सीमित बोली दिनांक 26.06.2024 को मध्यान्ह 01.00 बजे तक स्वीकार की जावेगी तथा उसी दिन दोपहर पश्चात 3.00 बजे राजभवन में उपस्थित बोलीदाताओं/संवेदकों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष उपापन समिति द्वारा खोली जायेगी।
11. सीमित बोली मोहर बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होंगी। जिस पर **"फोटोस्टेट कार्य हेतु मशीन मय ऑपरेटर हेतु सीमित निविदा"** अंकित किया जावेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

मुख्य लेखाधिकारी **कन्ट्रोलर** 14-6-24 **उप सचिव–II**

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

<u>बोली की सामान्य शर्तें</u>

1. राजस्थान लोक उपापन में पादर्शिता अधिनियिम 2012 व नियम 2013, जिसे आगे "अधिनियम" व "नियम" कहा गया है तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेंगे। बोलीदाता को "अधिनियम" एवं "नियम" की पूर्ण जानकारी कर लेनी चाहिए। बोली दस्तावेज तथा उपर्युक्त "अधिनियम" एवं "नियम" में किसी प्रकार की विसंगति होने पर उक्त "अधिनियम" एवं "नियम" के प्रावधान ही प्रभावी होंगे।
2. फोटोस्टेट कार्य की संख्या/मात्रा में कमी/वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या/मात्रा की गारंटी नहीं दी जायेगी एवं उपाप्त संख्या/मात्रा में कमी या उपाप्त नहीं करने की स्थिति में बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकार का हकदार नहीं होगा। फोटोस्टेट कार्य की संख्या/मात्रा वृद्धि होने पर अनुबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा बोली की शर्त, निबंधन एवं दर आदेशित समय एवं स्थान पर उपलब्ध करानी होगी।
3. बोली में सफल बोलीदाताओं/संवेदकों से, दर संविदाओं के अन्तिम मूल्यांकन में उनकी स्थिति के क्रम में अति महत्वपूर्ण प्रकृति/अपेक्षित संख्या में फोटोस्टेट कार्य उपलब्ध करवाना न्यूनतम बोलीदाता की क्षमता से परे होने पर, समानान्तर दर संविदा की जा सकती है।
4. अनुबंधित बोलीदाता/संवेदक द्वारा दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर फोटोस्टेट कार्य की कीमत कोटकर्ता करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन फोटोस्टेट कार्य की कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तद्नुसार संशोधित की जायेगी।
5. इस सचिवालय द्वारा विद्यमान दर संविदाएं उसी कीमत, निबंधनों और शर्तों पर तीन मास से अनधिक कालावधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी, यदि दर संविदा के अधीन फोटोस्टेट कार्य किये जाने या उसके घटकों की बाजार कीमतें इस कालावधि के दौरान गिर न गयी हो।
6. बोली की विधि मान्यता बोली खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए होगी।
7. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या भाडे (Sub-let) पर नहीं देगा।
8. मूल्यांकन की कसौटीः बोली में सफल बोलीदाता/संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर बोली का मूल्यांकन किया जावेगा।
9. सफल निविदादाता को निर्धारित प्रारूप में अनुबंध पत्र राशि रूपये 500/– (अक्षरे रूपये पॉच सौ मात्र) के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर आदेश दिनांक से 07 कार्य दिवस में सम्पादित करना होगा।
10. अनुमोदित की गई दर संविदा की कालावधि अनुबंध दिनांक से एक वर्ष की होगी।
11. विभाग के पत्रों की गोपनीयता की जिम्मेदारी बोलीदाता फर्म की होगी। फर्म यह भी सुनिश्चित करेगी कि किसी प्रपत्र की अतिरिक्त प्रति नहीं करे। यदि किसी प्रपत्र की गोपनीयता भंग होती है तो फर्म की बोली निरस्त की जा सकेगी तथा फर्म के विरूद्ध आरटीपीपी एक्ट–2012 एवं रूल्स–2013 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
12. निविदादाता फर्म के द्वारा राज्यपाल सचिवालय एवं राजभवन के कार्यालयी दस्तावेजों, पत्रावलियों प्रपत्रों आदि के अतिरिक्त बाहर का कोई फोटोस्टेट सम्बन्धित कार्य नहीं किया जावेगा, यदि ऐसा पाया जाता है तो निविदादाता फर्म के समस्त पेंडिंग भुगतान जब्त कर लिये जावेगें। इस प्रकार के प्रकरण में किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होगी।
13. फोटो स्टेट कार्य राज्यपाल सचिवालय के निर्देशानुसार राज्यपाल सचिवालय में उच्च स्तरीय एवं कार्यशील फोटो स्टेट मशीन मय ऑपरेटर कागज एवं अन्य कन्जूमेबल लगाकर करना होगा। राज्यपाल सचिवालय द्वारा केवल विद्युत एवं मशीन रखने हेतु स्थान की सुविधा प्रदान की जावेगी। शेष लागत व समस्त खर्चे बोलीदाता को स्वयं वहन करने होंगे।
14. फोटो स्टेट कार्य हेतु उपयोग में लिया जाने वाला पेपर उत्तम क्वालिटी में 75 जीएसएम का होना चाहिए। जो स्वंय फर्म के द्वारा क्रय कर उपयोग में लिया जावेगा।
15. मशीन खराब होने पर वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी अन्यथा 500/– रूपये प्रति दिन की दर से शास्ति के रूप में कटौती की जावेगी।

16. मशीन ऑपरेटर सफल बोलीदाता का होगा। ऑपरेटर के किसी दिन नहीं आने/अनुपस्थित रहने पर बोलीदाता को तुरन्त वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी, अन्यथा रु.500/—जुर्माना प्रतिदिन देय होगा।
17. आवश्यकता होने पर राजपत्रित अवकाश एवं कार्यालय समय पश्चात भी फोटो स्टेट का कार्य करना होगा।
18. सफल बोली दाता फर्म के द्वारा अनुभागों के कर्मचारी द्वारा कराई गई फोटों प्रतियों की प्राप्ति रसीदें जिसमें की गई कॉपियों की संख्या अंको में व शब्दों दोनों में लिखी होगी, प्राप्त कर रजिस्टर में प्रमाणित कराना होगा। केवल अंको में लिखी प्राप्ति रसीद/डिमांड स्लीप मान्य नहीं होगी व उसके विरुद्ध कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
19. प्रतिदिन संधारित पंजिका एवं मशीन में कॉपी रीडिंग का सत्यापन किया जावेगा।
20. सफल बोली दाता द्वारा प्रतिमाह संधारित पंजिका एवं मशीन की कॉपी संख्या के आधार पर प्रस्तुत बिल की प्रमाणित प्रतियों के अनुसार ही भुगतान किया जायेगा।
21. फोटो स्टेट मशीन खराब होने पर तुरन्त बदली/सही कर चालू करनी होगी यदि मशीन बन्द होने के अभाव में फोटो प्रतियां बाजार से कराई जायेगी तो जो राशि फर्म की निर्धारित दर से अधिक लगेंगी वह फर्म से वसूली योग्य होगी।
22. किसी भी नुकसान/हानि/दुर्घटना की जिम्मेदारी राजभवन की नहीं होगी।
23. बोलीदाता लिफाफे पर "फोटो स्टेट कार्य हेतु" मशीन मय आपरेटर हेतु सीमित निविदा अवश्य अंकित करेगा।
24. बोलीदाता को अपने कार्यालय/निवास के दूरभाष नम्बर निविदा में देने होंगे, ताकि आवश्यक परिस्थितियों में दूरभाष पर सम्पर्क किया जा सके।
25. बोली दरों में कांट—छांट नहीं की जावें।
26. बोली दरें पैन से भरी होनी चहिये, पैंसिल से भरी गयी निविदा को रद्द कर दिया जावेगा। निविदा फार्म के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता के हस्ताक्षर किये जावें।
27. फोटोस्टेट मशीन चालक साफ ड्रेस में अपनी ड्यूटी स्थल पर यथा समय उपस्थित रहेगा।
28. बोलीदाता को अपनी दरें संलग्न सूची अनुलग्नक 'क' अनुसार प्रस्तुत करनी होंगी।
29. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अनुसरण में http:/sppp.rajasthan.gov.in (स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल) एवं राजभवन की साईड www.rajbhawan.rajasthan.gov.in पर भी निविदा सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
30. बोलीदाता की अलग से कोई शर्तें मान्य नही होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

मुख्य लेखाधिकारी | **कन्ट्रोलर** | **उप सचिव—।।**

अनुलग्नक 'क'

फोटोस्टेट कार्य हेतु फोटोस्टेट मशीन मय पेपर एवं ऑपरेटर की दरें।

प्रति माह औसत फोटो कॉपी की संख्या	फोटो स्टेट कार्य हेतु उपयोग में लिए जाने वाले पेपर का जी.एस.एम. एवं ब्रांण्ड	साईज	दर प्रति फोटो कॉपी		जी.एस.टी दर प्रतिशत में
			एक तरफ रू.	दोनों तरफ रू.	
12,000 प्रतियां (कम व ज्यादा हो सकती है)	GSM-75	ए–4			
	GSM-75	FS Size			
	GSM-75	ए–3			
फोटोस्टेट मशीन का मैक एवं वर्ष (फोटो स्टेट मशीन माह दिसम्बर 2019 से पुरानी नहीं होनी चाहिए)					

नोटः– दरों में जी.एस.टी शामिल नहीं किया जावे। जी.एस.टी दर अलग से प्रदर्शित करें।

बिड़दाता के हस्ताक्षर मय सील

मुख्य लेखाधिकारी

कन्ट्रोलर

उप सचिव–।।